

प्रेषक,

अपर मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0प्र0  
इन्दिरा नगर लखनऊ।

पत्रांक: SPMU/NUHM/CP/2015-16/16/ 11897

दिनांक: 30.03.2016

विषय:- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अरबन आशा प्रशिक्षण के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या- संस्थान/आशा/902/05/वालयूम-5/244-5 दिनांक 28.01.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से अरबन आशा प्रशिक्षण हेतु सी.टी.पी. एवं बजट आंकलन करते हुये प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.02.2016 में अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा चार्ट सोसाइटी एवं सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को संलग्न फॉट के अनुसार दिनांक 25.03.2016 को धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के क्रम में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अरबन आशा प्रशिक्षण के सम्बंध में सम्बंधित जनपदों को दिशा निर्देश निर्गत करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीया

(डा0 काजल)

अपर मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्रांक: SPMU/NUHM/CP/2015-16/16/

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0 स्वा0 एवं प0 क0 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. संयुक्त निदेशक, अरबन हेल्थ, प0क0 महानिदेशालय, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. महाप्रबंधक सी0पी0, एस0पी0एम0यू0, एन0यू0एच0एम0 उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी मेरठ, गोरखपुर, बरेली, कानपुर नगर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, मुरादाबाद एवं फैजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि RFPTC मेरठ, गोरखपुर, बरेली कानपुर नगर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, मुरादाबाद एवं फैजाबाद को अरबन आशा के प्रशिक्षण हेतु धनराशि स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मथुरा, एवं सहारनपुर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अरबन आशा के आवासीय प्रशिक्षण हेतु स्थान का चिन्हीकरण करते हेतु निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. स्टाफ आफीसर, मिशन निदेशक को मिशन निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
10. स्टाफ आफीसर, अपर मिशन निदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।
11. समस्त मण्डलीय/जिला कार्यक्रम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 काजल)

अपर मिशन निदेशक

प्रेषक,

अपर मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ०प्र०  
इन्दिरा नगर लखनऊ।

पत्रांक: SPMU/NUHM/CP/2015-16/16/

दिनांक: 20.03.2016

विषय:- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अरबन आशा प्रशिक्षण के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या- संस्थान/आशा/902/05/वालयूम-5/244-5 दिनांक 28.01.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से अरबन आशा प्रशिक्षण हेतु सी.टी.पी. एवं बजट आंकलन करते हुये प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.02.2016 में अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा चार्ट सोसाइटी एवं सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को संलग्न फॉट के अनुसार दिनांक 25.03.2016 को धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के क्रम में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अरबन आशा प्रशिक्षण के सम्बंध में सम्बंधित जनपदों को दिशा निर्देश निर्गत करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीया

(डा० काजल)

अपर मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्रांक: SPMU/NUHM/CP/2015-16/16/ 11897-11

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि० स्वा० एवं प० क० को सूचनार्थ प्रेषित।
4. संयुक्त निदेशक, अरबन हेल्थ, प०क० महानिदेशालय, उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. महाप्रबंधक सी०पी०, एस०पी०एम०यू०, एन०यू०एच०एम० उ०प्र० को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी मेरठ, गोरखपुर, बरेली, कानपुर नगर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, मुरादाबाद एवं फैजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि RFPTC मेरठ, गोरखपुर, बरेली कानपुर नगर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, मुरादाबाद एवं फैजाबाद को अरबन आशा के प्रशिक्षण हेतु धनराशि स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मथुरा, एवं सहारनपुर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अरबन आशा के आवासीय प्रशिक्षण हेतु स्थान का चिन्हीकरण करते हेतु निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ०प्र० द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. स्टाफ आफीसर, मिशन निदेशक को मिशन निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
10. स्टाफ आफीसर, अपर मिशन निदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।
11. समस्त मण्डलीय/जिला कार्यक्रम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० काजल)

अपर मिशन निदेशक